मध्येप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र./264 / MGNREGS -MP/NR-3/SE-II/2011 भोपाल, दिनांक 07 /01/2012

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यकम समन्थवयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक,
महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम–म0प्र
जिला– समस्त (म0प्र0)

विषयः– **महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत हितग्राही मूलक उपयोजना में तहत सीमान्त एवं लघु कृषक की परिभाषा के संबंध में।**

संदर्भः– **विभाग का पत्र कमांक NR-3/TECH/10/10878 भोपाल दिनांक 27.10.2010।**

—0—

विषयांतर्गत महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत हितग्राही मूलक उपयोजना में लघु एवं सीमांत कृषक को भी पात्र हितग्राही मानते हुए लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कुछ जिलों द्वारा लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा के संबंध में भ्रम की स्थिति होना बतलाया गया है। कृषि विभाग द्वारा "कृषि ऋणमाफी और राहत योजना, 2008" में लघु एवं सीमांत कृषक को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

1. (बिन्दू कमांक 3.5):—**सीमांत किसान** का अर्थ है एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) जमीन पर खेती (मालिक के रूप में या भाड़े पर या बटाई पर) करनेवाला किसान।
2. (बिन्दू कमांक 3.6):– **लघु किसान** का अर्थ है एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर (पांच एकड़) तक की जमीन पर खेती (मालिक के रूप में या भाड़े पर या बटाई पर) करने वाला किसान।
3. कृषक द्वारा कृषि कार्यों हेतु लिया जाने वाला मूल ऋण की राशि यदि रू. 50000/– से अधिक है, तब नाबार्ड की "कृषि ऋणमाफी और राहत योजना, 2008" के बिन्दू क्र. 3(3) में दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार कृषक को लघु व सीमांत कृषक की श्रेणी में मान्य नही किया जाना है।

महात्मा गांधी नरेगा के परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि, हितग्राही मूलक उपयोजना का लाभ केवल निजी स्वामित्व की भूमि वाले पात्र हितग्राहियों को ही दिया जा सकता है।

(नीरज मंडलोई)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल (म0प्र0)

LKP/General Letter 205

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

पृ.क./265 / MGNREGS -MP/NR-3/SE-II/2011 भोपाल, दिनांक 07/07/2011

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र, विकास आयुक्त कार्यालय, विध्यांचल भवन, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल।
5. संभागायुक्त (समस्त) संभाग, मध्यप्रदेश।
6. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त) मंडल मध्यप्रदेश।
7. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त) संभाग मध्यप्रदेश।
8. समस्त शाखा, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल।

आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
भोपाल (म0प्र0)